


11/3/25

पगवली पेश हुई। कादी- प्रतिपादी अतिवृत्त
प्रकार नकार। गवाही हेतु दिनांक 24/3/25
को पेश के है

24/3/2025

पगवली पेश हुई। कादी एवं वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। कादी एवं वादी अधिवक्ता की
नियमावली तीन बार आवाजें लगवाई गईं,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। कादी एवं वादी
अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थिति हेतु न्यायालय
में एकबार पुनः आवाजें लगवाई गईं, परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। कादी एवं वादी अधिवक्ता
के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण
कादी एवं वादी प्रत्येक बाद सन्तर्पित धारा 53, 88,
89 एवं 188 अन्वयान काश्तकारी अधिनियम
की मदद हाजरी। मदद पेशी में खारिज किया
जाता है। निधि सबे इजलास सुनाया गया। रीती
पर्यायी है।

पगवली फॉयल शुमार रोक कादील
दफ्तर ही लया नम्बर से कम ली।


24/3/2025
सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. कमला देवी पुत्री नारु जाति गुर्जर पत्नी भैरु लाल गुर्जर निवासी सुन्दरपुरा हाल निवासी लावड़ो का बाड़ा, गुरला, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. सायरी देवी पत्नी नारु जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. हंजा देवी पुत्री नारु जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी सुन्दरपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा
4. उपपंजीयक, भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा, खातेदारी अधिकार, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 77/2024 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 24.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादीया एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


24/3/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा